**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ जिला डीग**

इजलाश श्री **सुनील कुमार झिंगोनिया** आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी कामाँ

**मुकदमा नं0 01/2023**

1–प्रमोद कुमार
2–विशाल कुमार
3–महेश } पिसरान रोशनलाल जाति खत्री नि. बुद्ध की हाट भरतपुर तह. जिला भरतपुर
4–पारूल पुत्री रोशनलाल जाति खत्री नि. बुद्ध की हाट भरतपुर तह. भरतपुर, राज.
5–लक्ष्मी पुत्री रोशन लाल पत्नी किशनलाल सचदेवा जाति खत्री निवासी सोंगर मौहल्ला डीग तह. डीग जिला हाल डीग।

अपीलान्ट

**बनाम**

1–ग्राम पंचायत जुरहरी जरिये सरंपच ग्राम पंचायत जुरहरी तहसील कामाँ जिला डीग राजस्थान।
2–अशोक कुमार } पिसरान हरनामदास जाति खत्री नि0 ग्राम जुरहरी, तह. हाल जुरहरा, डीग
3–जोगेन्द्रपाल }
4–सुनीता रानी पत्नी गुरूदासमल
5–राजीवकुमार
6–पवन कुमार } पिसरान गुरूदासमल } जाति खत्री नि. ग्राम जुरहरी तह0 हाल जुरहरा,डीग
7–वर्षा रानी पुत्री गुरूदासमल
8–महेन्द्रपाल
9–विजय कुमार } पिसरान तिलकराज } जाति खत्री नि. ग्राम जुरहरी तह0 हाल जुरहरा, डीग
10–मोहिनी रावल पत्नी किमत कुमार
11–नरूल रावल
12–सुबल रावल } पिसरान किमत कुमार
13–साक्षी चावला दोहित्री तिलकराज
14–प्रयांशु चावला
15–वितान चावला } दोहित्रा तिलकराज } जाति खत्री नि. ग्राम जुरहरी, तह. हाल जुरहरा,

रैस्पोडेन्टस

**उपस्थित अधिवक्ता**

1– श्री रूपसिंह यादव अपीलान्ट अधिवक्ता
2– पैरोकार सरकार

अपील विरूद्ध दाखिल खारिज संख्या 2115 दिनांक 05.07.2006 बांके ग्राम जुरहरी, तह. हाल जुरहरा, ग्राम पंचायत पाई

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

# निर्णय

दिनांक 10.06.2024

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक अपील विरूद्ध दाखिल खारिज संख्या 2115 दिनांक 05.07.2006 बांके ग्राम जुरहरी, तह. हाल जुरहरा, ग्राम पंचायत पाई का पेश किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2115 ग्राम पंचायत पाई ने तस्दीक किया है परन्तु अब राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों का परसीमन कर ग्राम जुरहरी को ही पंचायत मुख्यालय बना दिया

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज0

है इसलिए रैस्पोन्डेन्ट संख्या एक को ग्राम पंचायत पाई के स्थान पर रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत जुरहरी को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। हाल आराजी खसरा नम्बर 211/0.27, 218/0.06, 450/0.05, 452/0.08, 454/0.14, 481/0.09,/ 482/0.26, 447/0.37, 487/0.37, 588/0.33, 589/0.24, 642/0.13, 648/0.26, 649/0.27, 663/0.19, 664/0.27, 773/0.32 हैक्टर किता–16 रकबा 3.33 हैक्टर बांके ग्राम जुरहरी तह. हाल जुरहरा में स्थिति है सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत 2059 लगायत 2062 व मिलान क्षेत्र की फोटो प्रति पेश है। विवादित आराजी मुतनाजा 158/मिन./0.27, 159मिन/0.06, 345/0.05, 346/0.08, 348मिन/0.14, 368/मिन/0.09, 369/0.26, 443/0.33, 444/0.24, 486/0.13, 492/0.26, 493/0.27, 507/0.19, 508/0.28, 599/0.31, 373/0.36 हैक्टर किता 16 रकवा 3.32 हैक्टर वाके ग्राम जुरहरी तहसील कामां पूर्व में हरनामदास पुत्र सौदागरमल जाति खत्री निवासी ग्राम जुरहरी तह. हाल जुरहरा, के कब्जे काश्त खातेदारी का रकबा था मृतक हरनाम दास की आराजी थी जिसके वारिस करतार देवी पत्नि, तिलकराज पुत्र, गुरूदासमल, अशोक कुमार, जोगेन्द्रपाल पुत्र व सवर्णारानी है। जिसमें मृतक तिलकराज के महेन्द्रपाल कीमतकुमार, सुमनवाला विजयकुमार पिसरान तिलकराज है। सुमनवाला के वारिस साक्षी सवला प्रियाशु चावला, बितानचावला है मृतक कीमतकुमार पुत्र तिलकराज के वारिस मोहनी रावल पत्नि व सुबलरावल, नरूल रावल है। मृतक गुरूदासमल के वारिस सुनीतारानी पत्नि , राजीव कुमार, पवनकुमार, वर्षारानी वारिस है। मृतक सर्वणारानी के वारिस प्रमोद कुमार, विशाल कुमार, महेश, पारूल, लक्ष्मी है। आराजी मुतनाजा हरनाम दास पुत्र सौदागरमल के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी जिसको वह अपने जीवन काल तक काश्त करता रहा मृतक हरनाम दास के चार पुत्र व एक पुत्री तथा एक पत्नी करतार देवी थी करतार देवी का वक्त विरासत नामान्तकरण स्वर्गवास हो गया था हरनाम दास की मृत्यु के बाद उसके जायज वारिस जायदाद अपीलान्ट जो कि मृत्तक हरनाम दास की पुत्री सवर्णारानी के जायज वारिसान है व रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 हरनाम दास के पुत्र है तथा रैस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 7 हरनामदास के पुत्र गुरूदासमल के वारिसान है व रैस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 हरनामदास के पुत्र तिलकराज के पुत्र है व रैस्पोडेन्ट संख्या 10, 11, 12 हरनामदास के पुत्र तिलकराज के पुत्र कीमतकुमार के जायज वारिसान है रैस्पोडेन्ट संख्या 13,14,15 हरनामदास के पुत्र तिलकराज की पुत्री सुमनवाला के वारिसान है। जो कि आराजी मुतनाजा पर बतौर खातेदार अपने–अपने हिस्से के मुताबिक काश्त करते चले आ रहे है हरनामदास की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी विरासत का नामान्तकरण राजस्व कर्मचारियों ने वारिसों की सम्पूर्ण जानकारी किये बिना ही उसके चारों पुत्रों के नाम दर्ज कर दिया जो की कानून के खिलाफ था, क्योंकि विरासतन के नामान्तकरण में उसके समस्त वारिसानों के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज किये जाने चाहिए थे। विरासत का नामान्तकरण फैसल होते वक्त हरनामदास की पुत्री सवर्णारानी जीवित थी। विवादित आराजी मुतनाजा में अपीलान्ट की माँ सवर्णारानी का मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत 1/5 हिस्सा बनता है। जिस पर सवर्णारानी के फौत हो जाने के बाद अपीलान्ट काबिज है। रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 व रैस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 15 के पिता/ससुर/दादा/नाना तिलकराज, गुरूदासमल ने हरनामदास की विरासत का नामान्तकरण अपने नाम दर्ज करा लिया जबकि हरनाम दास के वारिसानों में अपीलान्ट की माँ सवर्णारानी भी थी क्योंकि अपीलान्ट की माँ सवर्णारानी मृतक हरनामदास की खास पुत्री है पटवारी हल्का द्वारा मृत्तक हरनामदास की विरासत का नामान्तकरण संख्या 2115 दर्ज किया जिसमें पटवारी हल्का द्वारा जो सजरा नामान्तकरण पर दर्शाया गया है उसमें सवर्णारानी को नहीं दिखाया गया है। हरनामदास के चारों पुत्रों ने पटवारी हल्का से साज करके नामान्तकरण संख्या 2115 में अपने नामों का सजरा तैयार कराकर अपने नाम दाखिल खारिज को ग्राम पंचायत पाई से दिनांक 05/07/2006 को विरासत के नामान्तकरण को फैसल करा लिया है। जबकि हरनाम दास के सभी अपीलान्ट की माँ का भी नाम दर्ज होना

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भ.पु.) राज०

चाहिए था उक्त नामान्तकरण संख्या निम्न कारणों से खारिज किये जाने योग्य है। (अ) ग्राम पंचायत पाई द्वारा विरासत का नामान्तकरण संख्या 2115 दिनांक 05.07.2006 तस्दीक करते समय समस्त वारिसान की बिना जाँच करे ही तस्दीक कर दिया इसी कारण अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने में रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भारी भूल की है। (ब) नामान्तकरण संख्या 2115 को तस्दीक करते समय रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बिना वारिसों की जाँच किये ही तस्दीक कर दिया जबकि हरनामदास के अपीलान्ट की माँ सवर्णारानी जायज वारिसान थी उसका नाम छिपाते हुये नामान्तकरण को दस्दीक कर गैरजिम्मेदाराना कार्य किया है तथा कानूनी भूल की है। उक्त नामान्तकरण संख्या 2115 दिनांक 05.07.2006 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध होने के सवव निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट अपने 1/5 हिस्सा की आराजी मुतनाजा को हरवर्ष वैशाख माह में ग्राम के ही लोगो को मुठ्ठे पर उठाकर चले जाते है अपीलान्ट दिनांक 04.01.2023 को ग्राम जुरहरी में मिलने आये जो रैस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 15 ने कहा कि अब तक तो तुमने अपने नाना की जमीन का मुठ्ठा ले लिया है परन्तु आज के बाद तुम मुठ्ठा पर नहीं दे सकोगे क्योंकि हमने आराजी मुतनाजा को बेचने का सौदा कर दिया है और आराजी मुतदाविया तो तुम्हारे नाम भी नहीं है तुम्हारा कोई हिस्सा भी नहीं बनता है हम अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्टस संख्या 2 लगायत 15 में कहासुनी हो गई उसके बाद हम पटवारी हल्का जुरहरी से मिले और तहसील कामाँ में जाकर रिकॉर्ड दिखाया तो पाया की हरनामदास की विरासत के नामान्तकरण में हमारी माँ सवर्णारानी के नाम को छिपाते हुये अपने नाम नामान्तकरण दर्ज करा लिया है तहसील कार्यालय से दिनांक 05/01/2023 को नकले प्राप्त की तथा पटवारी हल्का जुरहरी से दिनांक 06.01.2023 को नामान्तकरण की विरासत के नामान्तकरण संख्या 2115 दिनांक 05.07.2006 के बारे में पूर्व में कतई जानकारी नहीं थी अपील अपीलान्ट बिना किसी देरी के पेश है। अपील पर न्यायशुल्क व तलवाना नियमानुसार चस्पा है। अपील सुनने का क्षेत्राधिकार हासिल है। अपीलान्ट मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2115 दिनांक 05.07.2006 आदेश ग्राम पंचायत पाई को निरस्त कर अपीलान्ट के नाम मुताबिक हिसा राजस्व भू–अभिलेख में इन्द्राज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोन्डेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्टस ग्राम पंचायत जुरहरी जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत जुरहरी ने अपना जबाव दिनांक 15.04.2024 के द्वारा पेश किया कि पूर्व में ग्राम जुरहरी ग्राम पंचायत पाई में लगता था ग्राम पंचायत पाई के अधीन ही ग्राम जुरहरी था। अब सन् 2020 में ग्राम पंचायत पाई से अलग होकर ग्राम पंचायत जुरहरी 2020 में बनी है। उससे पूर्व ग्राम जुरहरी ग्राम पंचायत पाई में लगता था। चूंकि यह दाखिल खारिज सं. 2115 दिनांक 05.07.2006 का है। इस कारण इसका समस्त रिकॉर्ड ग्राम पंचायत पाई के पास ही है। ग्राम पंचायत जुरहरी बनने के बाद पूर्व का समस्त रिकॉर्ड ग्राम पंचायत पाई के पास ही है। इसलिए उक्त दाखिल खारिज के संबंधित समस्त रिकार्ड पाई ग्राम पंचायत में है। वही से रिकार्ड तलब किये जाने के आदेश प्रदान करें। ग्राम पंचायत जुरहरी 2020 में नई बनी है। उससे पूर्व का समस्त रिकार्ड ग्राम पंचायत पाई के पास है इसलिए उक्त रिकार्ड के संबंध में ग्राम पंचायत पाई से रिकार्ड तलब फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें। रैस्पोडेन्ट नं02लगायत 15 की ओर से श्री देवेन्द्र सिंह एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद अधिवक्ता उपस्थित आये। जबाव पेश करने के लिए मना किया तथा सीधे बहस करने का कहा । अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि हरनामदास की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी विरासत का नामान्तकरण राजस्व कर्मचारियों ने वारिसों की सम्पूर्ण जानकारी किये बिना ही उसके चारों पुत्रों के नाम दर्ज कर दिया जो की कानून के खिलाफ था। क्योंकि विरासत के नामान्तकरण में उसके समस्त वारिसानों के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

किये जाने चाहिए थे। विरासत का नामान्तकरण फैसल होते वक्त हरनामदास की पुत्री सवर्णारानी जीवित थी। विवादित आराजी मुतनाजा में अपीलान्ट की माँ सवर्णारानी का मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत 1/5 हिस्सा बनता है। जिस पर सवर्णारानी के फौत हो जाने के बाद अपीलान्ट काबिज है। रैस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 व रैस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 15 के पिता/ससुर/दादा/नाना तिलकराज, गुरूदासमल ने हरनामदास की विरासत का नामान्तकरण अपने नाम दर्ज करा लिया जबकि हरनाम दास के वारिसानों में अपीलान्ट की माँ सवर्णारानी भी थी क्योंकि अपीलान्ट की माँ सवर्णारानी मृत्तक हरनामदास की खास पुत्री है पटवारी हल्का द्वारा मृत्तक हरनामदास की विरासत का नामान्तकरण संख्या 2115 दर्ज किया जिसमें पटवारी हल्का द्वारा जो सजरा नामान्तकरण पर दर्शाया गया है उसमें सवर्णारानी को नहीं दिखाया गया है। हरनामदास के चारों पुत्रों ने पटवारी हल्का से साज करके नामान्तकरण संख्या 2115 में अपने नामों का सजरा तैयार कराकर अपने नाम दाखिल खारिज को ग्राम पंचायत पाई से दिनांक 05/07/2006 को विरासत के नामान्तकरण को फैसल करा लिया है। जबकि हरनाम दास के सभी अपीलान्ट की माँ का भी नाम दर्ज जोना चाहिए था उक्त नामान्तकरण संख्या 2115 खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ताओं ने इस सम्बन्ध में कोई जबाव/बहस नहीं की है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस प्रार्थी अधिवक्ता को सुना। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपने अपील में तथा बहस में दोहराया कि नामान्तकरण संख्या 2115 में हरिनामदास की मां सर्वणारानी को नहीं दिखाया गया । ग्राम पंचायत पाई ने बिना जांच किये हरिनामदास की पुत्री सर्वणारानी को वारिस नहीं बतलाया गया है । अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है । नामान्तकरण ग्राम पंचायत जुरहरी को पुनः जांच हेतु भेजा जाना उचित समझते हैं ।

## आ दे श

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तथा नामान्तकरण संख्या 2115 को खारिज किया जाकर ग्राम पंचायत जुरहरी आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी से संबंधित सभी विधिक वारिसान की जांच व सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय किया जावे। प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर वाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.6.2024 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कामाँ

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०